कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकरी, रामगढ़।

ज्ञापांक 969 रामगढ़ / दिनांक 07/11/2017.

(अल्पकालीन निविदा हेतु सूचनाऐं)

01. स्वा० विभाग, रामगढ़ जिलांतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ख्याति प्राप्त ISO 9001:2008/9001:2015 एवं PSRA Act 2005 द्वारा निबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसियों से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।
02. प्राप्त अल्पकालीन निविदा असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में निर्धारित तिथि अनुरूप खोली ज़ायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
03. प्राप्त निविदा को चयन समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनिकी भाग–1 खोला जायेगा, तत्पश्चात तकनिकी भाग में सफल एजेंसियों का वित्तीय भाग–2 खोला जायेगा।
04. निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से किसी भी समय निरस्त करने एवं किसी भी निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
05. इस निविदा से संबधित किसी भी कानूनी कार्यवाही रामगढ़ न्यायिक क्षेत्र होगा।
06. असफल/अस्वीकृत निविदादाता को बिना ब्याज के अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निवदादाता यदि कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों तक सभी औपचारिकताऐं पूरी करके कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तो निर्गत आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है।
07. अनुबंध की अवधि 01 वर्ष की होगी, जिसकी गणना कार्य प्रारंभ होने की तिथि से की जायेगी। कार्य की समीक्षा के पश्चात संतोषजनक Performance पाये जाने पर समिति द्वारा कार्यावधि का विस्तार किया जा सकता है।
08. तकनिकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 100000/– (एक लाख) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन, रामगढ़ के पदनाम से हो, संलग्न करना होगा।
09. निविदादाता एजेंसी को एतद् संबंधी शपथ पत्र (Affidavit in Original Copy, Issued by the 1st class Magistrate) निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का संलग्न करना होगा कि उनके एजेंसी किसी भी जिला स्तर पर काली सूची में दर्ज नहीं है।
10. विगत 03 वित्तीय वर्षों में एजेंसी का न्यूनतम 30000000/– (तीन करोड़) मात्र रूपये का टर्न ओभर (कारोबार) होना चाहिये। यथार्थ– वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 का प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10000000/– (एक करोड़) रूपये जो Chartered Accountant से अंकेक्षित Balance Sheet निर्गत किया हुआ जमा करना होगा।
11. एजेंसी के द्वारा ड्यूटी पर लगाये गये कर्मियों का सभी साजो–समान यथा– वर्दी, बूट, कैप, इत्यादि से लैश रहना होगा, साथ ही सभी के लिये फाटोयुक्त पहचान पत्र रखना तथा चेस्ट पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
12. एजेंसी को सरकारी प्रावधान अनुसार ESI, EPF एवं अन्य संबंधित देयों के भुगतान की प्राप्ति रसीद/चालान कार्यरत सुरक्षा प्रहरी के पक्ष में भुगतान किया गया हो से संबंधित विपत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. एजेंसी को किसी भी सरकारी अस्पताल/संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
14. सफल एजेंसी के साथ किसी भी प्रकार का स्वामी एवं सेवक का संबंध स्थापित नहीं होगा। एजेंसी को सभी कर्मियों के पासपोर्ट साईज फोटो, मतदाता सूची प्रमाण पत्र, पैंन कार्ड, आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
15. सफल एजेंसी को अस्पताल की रोस्टर अनुसार अपने कर्मियों को ड्यूटी में लगायेंगे।

16. निविदा के साथ भविष्य निधि कोड संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा संख्या, सेवा का निबंधन संख्या, आयकर स्थायी लेखा संख्या, आयकर अद्यतन वार्षिक रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2016–17), सर्विस टैक्स का अद्यतन रिटर्न, (वित्तीय वर्ष 2016–17) एवं अद्यतन वाणिज्य कर अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. सफल एजेंसी को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं एजेंसी अपने कर्मियों का उपस्थिति विवरणी अनुसार प्रत्येक माह का मानदेय राशि का भुगतान स्वयं अपने स्तर से करेंगे एवं एजेंसी द्वारा कर्मियों को भुगतान की गई राशि से संबंधित विपत्र सिविल सर्जन के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध रहने पर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि का प्रतिपूर्ति किया जायेगा एवं इस आशय का शपथ पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष का निर्गत संलग्न करना अनिवार्य है।
18. निविदादाता को तकनिकी भाग में सभी वांछित आवश्यक कागजात अभिप्रमाणित पृष्ठांकित कर अलग बंद लिफाफा में तथा वित्तीय भाग में वांछित कम्प्यूटरीकृत दर अलग बंद लिफाफा में तत्पश्चात तकनिकी एवं वित्तीय भाग को एक सील बंद लिफाफा में स्वीकार्य होगा।
19. निविदादाता के द्वारा तकनीकि निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का चेकलिस्ट (विवरणी) पेज नंबर अंकित कर सूची संलग्न करना होगा ताकि पेज नंबर वाईज अभिलेखों का स्कूटनी किया जा सके।
20. किसी भी परिस्थिति में वित्तीय भाग में Cutting or Overwriting मान्य नहीं होगा।
21. निविदादाता को उक्त सभी अहर्ताऐं पूरी करनी होगी, अन्यथा उनकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
22. बिना कारण बताये किसी भी निविदा या पूरी निविदा को रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

07-11-17

असैनिक शल्य चिकित्सक
सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
रामगढ़।